HRA Saxette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II —खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸ਼ਂ. 868] No. 868] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 13, 2007/आषाढ़ 22, 1929 NEW DELHI, FRIDAY, JULY 13, 2007/ASADHA 22, 1929

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2007

का.आ. 1141(अ).—केन्द्रीय संरकार, कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 (1973 का 26) की धारा 3 की उप-धारा (3) के खंड (क) के उप-खंड (iii) की मद (4) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, कोयला गैसीकरण (भूमिगत और भूतल) और कोयला द्रवीकरण के माध्यम से अभिप्राप्त सायन-गैस के उत्पादन को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अंतिम उपयोग विनिर्दिष्ट करती है।

[सं. ४८०२४/1/२००३-सीए-11]

राजीव शर्मा, अपर सचिव

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2007

S.O. 1141(E).—In exercise of the powers conferred by item (4) of sub-clause (iii) of clause (a) of Sub-section (3) of Section 3 of the Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973 (26 of 1973), the Central Government hereby specifies production of syn-gas obtained through coal gasification (underground and surface) and coal liquefaction to be end uses for the purposes of the said Act.

[No. 48024/1/2003-CA-II]

RAJIV SHARMA, Addl. Secy.